राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3079/2025

चन्द्रशेखर शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :
प्रस्तुततीकरण दिनांक : 18.06.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री रोहित सैनी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गरवाड़ा जिला झालावाड़ में पदस्थापित है। इस अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.06.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिस आदेश के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज किया गया है और अपीलार्थी को पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चांदीपुर, मनोहर थाना, जिला झालावाड़ में कार्यग्रहण करने के आदेश दिये गए है।

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–। के पद पर दिनांक 13.09.1997 को हुई थी तथा उसे दिनांक 16.09.1998 को अध्यापक ग्रेड–।।।, लेवल–।।, विषय सामाजिक अध्ययन के पद पर पदस्थापित किया गया तथा उसके

पश्चात् दिनांक 22.09.2018 को वरिष्ठ अध्यापक, विषय सामाजिक अध्ययन के पद पर पदोन्नत किया गया तथा उसके पश्चात् दिनांक 03.08.2009 को प्रधानाध्यापक के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नत किया गया तथा अपीलार्थी का चयन व्याख्याता (विद्यालय शिक्षा) विषय हिंदी साहित्य के पद पर हुआ तथा दिनांक 12.07.2024 को उप–प्रधानाचार्य के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नत किया गया तथा उसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गरवाड़ा, ब्लॉक बकानी, जिला झालावाड़ में पदस्थापित किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 17.01.2025 को डी.पी.सी. आयोजित की गई थी तथा डी.पी.सी. की अनुशंसा के आधार पर अपीलकर्ता का चयन दिनांक 24.01.2025 को प्रधानाचार्य के पद पर हुआ (अनुलग्नक–3)। इसके पश्चात जिन उम्मीदवारों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया था, उन्हें पदस्थापन के उद्देश्य से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहा गया था। काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित करने से पहले रिक्त सीटों को 09.04.2025 को प्रदर्शित किया गया है जिसमें प्रधानाचार्य का पद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरखेड़ी, गुजरान में दिखाया गया है, जिसमें पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चांदीपुर, जिला झालावाड़ में रिक्त पद शामिल है। जबकि झालावाड़ जिले में विवादित रिक्त सीटों को नहीं दर्शाया गया। अपीलार्थी की जानकारी के अनुसार ब्लॉक बकानी में पांच पद खाली हैं और एक पद ब्लॉक अकलेरा, जिला झालावाड़ में रिक्त है (अनुलग्नक–4)। इसके पश्चात दिनांक 12.04.2025 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया के पश्चात पी.एम. श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ पदस्थापित किया गया (अनुलग्नक–5)। उक्त आदेश दिनांक 12.04.2025 के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8927/2025 दायर की, जिस पर दिनांक 01.05.2025 को पूनम राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8749/2025 के दिनांक 28.04.2025 को निर्णीत निर्णय के आलोक में निर्णय लिया गया। माननीय न्यायालय दिनांक 12.04.2025 के आदेश के प्रभावी होने की सूचना देते हुए अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को उस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया (अनुलग्नक–6)। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.05.2025 की अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 15.05.2025 को एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थी ने विस्तृत जानकारी दी कि वर्तमान विद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गरवाड़ा, जिला झालावाड़ के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है और वर्तमान में प्रधानाचार्य का पद राजकीय उच्च

माध्यमिक विद्यालय गरवाड़ा, जिला झालावाड़ में रिक्त है। अपीलकर्ता की पत्नी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कराल गाँव, ब्लॉक बकानी, जिला झालावाड़ में कार्यरत हैं, जो अपीलार्थी के निवास स्थान के निकट है। अपीलार्थी के पिता की आयु 85 वर्ष से अधिक है और वे हृदय रोगी हैं। दिनांक 12.05.2025 के अभ्यावेदन में यह भी बताया गया है कि झालावाड़ जिले के बकानी ब्लॉक में प्रधानाचार्य के पाँच पद और अकलेरा ब्लॉक में एक पद रिक्त है और अपीलार्थी को उक्त रिक्त पद पर नियुक्त किया जाए (अनुलग्नक–7)। अपीलार्थी द्वारा स्टाफ विंडो से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुजरान में प्रधानाचार्य का पद रिक्त था और अपीलार्थी ने प्राथमिकता के आधार पर विकल्प प्रस्तुत किया था, लेकिन इसके बावजूद उसे पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदीपुर में नियुक्ति दी गई है, जो उसके विकल्पों में क्रमांक 104 था (अनुलग्नक–8)। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि झालावाड़ जिले में सभी रिक्त पदों को प्रदर्शित नहीं किया गया है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुजरान में एक पद प्रदर्शित किया गया है। लेकिन अपीलकर्ता को उसकी पसंद के बावजूद उक्त स्थान पर नियुक्ति मिल गई है। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रधानाचार्य के कुल 7214 रिक्त पदों में से 4840 पद प्रदर्शित किए गए हैं। यह तर्क दिया गया है कि एक ही स्थान या उसके निकटवर्ती स्थान पर नियुक्ति पाने का कोई निहित अधिकार नहीं है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.06.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को उसके नजदीकी विद्यालयों में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाए।

अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 02.06.2025 को चुनौती दी गई है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसीसिविल रिट पिटीसन संख्या 8927/2025 अमर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य पारित आदेश दिनांक 01.06.2025 की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण के संबंध में जारी आदेश दिनांक 02.06.2025से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन के संबंध में सभी तथ्यों को समाविष्ट करते हुए आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में भी इस आदेश में किसी तरह से हुई अनियमितता

के संबंध में कथन नहीं किया है। अपीलार्थी का पदस्थापन पदोन्नति के पश्चात काउंसलिंग के जरिये विभागीय नीति के अनुरूप आदेश दिनांक 12.04.2025 द्वारा पदस्थापन किया जाना पाया जाता है। अधिकरण को इन प्रकरणों में तभी हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, जब किसी तरह की कार्य अनियमितता या दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही की गई हो, ऐसा इस प्रकरण में प्रकट नहीं हो रहा है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना–पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य